(99)

संख्या– 1032/XV-2/08(05)/2007

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 15 सितम्बर, 2011:

विषय :– **चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए मत्स्य विभाग को जलाशयों का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त निदेशक, मत्स्य विभाग के पत्र संख्या–792–93/जला0वि0/2011–12, दिनॉक 09–08–2011 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–769/XV-2/8(05)/2007, दिनांक 22–06–2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में मत्स्य विभाग को जिला योजना अन्तर्गत जलाशयो को विकास योजना हेतु ₹ 1.13 लाख (₹ एक लाख तेरह हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न जनपदवार प्रदिष्टि किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

आयोजनागत

धनराशि (लाख ₹ में)

क0सं0	जनपद	धनराशि	आहरण वितरण अधिकारी
1.	पिथौरागढ़	1.13	सहायक निदेशक, मत्स्य, अल्मोड़ा
	कुल योग :–	**1.13**	

1. उक्त जनपदवार निर्गत स्वीकृति सम्बन्धित सहायक निदेशक, मत्स्य के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्ण जहॉ कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी को स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0 एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमो एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2/–

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित उपलब्ध कराई जायेगी।

5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीध्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

6. निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जाये एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर–211(d) की अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त की जा रही धनराशि में 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यों पर तथा 20 प्रतिशत नये निर्माण कार्यो पर व्यय की जाये।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2405–मछली पालन–00–आयोगनागत–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–9102–जलाशयों का विकास–42–अन्य व्यय के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII (1)/2011, दिनांक 31–3–2011 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या : 1632 /XV-2/08(05)2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
4. निजी सचिव–मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
5. निदेशक, मत्स्य विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. सहायक निदेशक, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग,, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।